(26)

R. 3805-III/13

निगरानी क्रमांक / 2013
रामचरण आयु 70साल आत्मज श्री उंकार
निवासी ग्राम कालापीपल तहसील इछावर जिला सीहोर......................................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1—बिन्दाबाई पत्नी रामगोपाल जाति खाती
2—पर्वत आ0 जगन्नाथ जाति बलाई
दोनो निवासी ग्राम कालापीपल तहसील इछावर
जिला सीहोर.म0प्र0.. ....गैरनिगरानीकर्ता

15—4—2015	आवेदक अभिभाषक श्री एल.ए.सैफी द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्क पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इछावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 01/अ—70/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 06—5—2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उपलब्ध तहसीलदार के आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है तहसीलदार ने आवेदक को जबाव हेतु 11 अवसर दिये जाने के बाद भी आवेदक द्वारा प्रकरण में जबाव प्रस्तुत नहीं किये जाने का कारण उसका जबाव का अवसर समाप्त कर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है। जबाव हेतु 11 अवसर दिये जाने पर भी जबाव क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया इसका कोई समुचित कारण नहीं बताया। केवल यह बताया कि प्रवाचक द्वारा पेशीयां बढाई जा रही थी। पीठासीन अधिकारी नहीं बैठ रहे थे, परन्तु इस बावत कोई प्रमाण—आदेश पत्रिका की नकल, जिसमें रीडर द्वारा पेशीयां बढाई गई पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। साक्ष्य में आवेदक को अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है। तहसीलदार द्वारा पारित अन्तरिम आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होता। दर्शित परिस्थिति में निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डा0 मधु खरे) सदस्य